पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना

पशुपालन

जिला पशुपालन कार्यालय, नवादा

अल्पकालीन निविदा सूचना

जिला पशुपालन पदाधिकारी, नवादा के अधीन विभिन्न पशुचिकित्सालयों में उपयोग हेतु विभाग द्वारा चिन्हित वित्तीय वर्ष 2017--2018 एवं 2018--2019 में प्राप्त आबंटन/प्राप्त हेाने वाले आवंटन की अनुमानित लागत पर मेडिसीन/ आदि के क्रय हेतु दर निर्धारण के निमित्त निविदा दैनिक समाचार पत्र(नवादा संस्करण) में प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों तक की अवधि में द्विलिफाफा पद्धति के आधार पर दवा निर्माताओं/ आपूर्तिकर्ताओ से निविदा अंकित कर इन दोनों लिफाफे को एक बड़े लिफाफा में सीलबंद कर स्पीड पोस्ट/निबंधित/हाथो–हाथ निर्धारित तिथि तथा समय तक में जिला पशुपालन कार्यालय नवादा में प्राप्त किया जाएगा। अंतिम प्राप्ति तिथि के अगले कार्य दिवस को 11 बजे पूर्वाह्न में जिला स्तर पर गठित तकनीकी निविदा समिति के समक्ष इन्हे खोलकर, दर तथा आपूर्तिकर्त्ता का निर्धारण किया जाएगा। जिसमें निविदादाता के प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति आपेक्षित है। तकनीकी रूप से सफल निविदादाता को ही वित्तीय लिफाफा को समिति के समक्ष खोला जाएगा। निविदा की विस्तृत शर्ते, दवा की विशिष्टतायें तथा सूची को विभागीय बेवसाइट www.ahd.bih.nic.in पर एवं निकटस्थ विभागीय कार्यालय के सूचना पट पर किसी कार्य दिवस को देखा जा सकता है।

ह0/- 10.8.18

जिला पशुपालन पदाधिकारी,
नवादा

कार्यालय जिला पशुपालन पदाधिकारी, नवादा

नवादा जिलान्तर्गत विभिन्न पशुचिकित्सालयों में उपयोग हेतु दवा, क्रय हेतु प्रकाशित निविदा की शर्ते :–

प्रतिष्ठित निर्माता/ आपूर्तिकर्त्ता निविदा में भाग ले सकते हैं।

तकनीकी भाग

1. दवा, दर तथा निर्माता/ आपूर्तिकर्त्ता का निर्धारण सीलबंद द्विलिफाफा पद्धति के आधार पर किया जाएगा। अलग – अलग सीलबंद लिफाफा में "तकनीकी निविदा" तथा "वित्तीय निविदा" अंकित कर इन्हें एक बड़े सीलबंद लिफाफा में प्रस्तुत करना होगा जिसपर जिला पशुपालन पदाधिकारी,नवादा-- निविदा हेतु लिखित होना चाहिए।

2. निविदायें स्पीड पोस्ट/निबंधित/हाथों–हाथ निविदा प्रकाशन (नवादा संस्करण) की तिथि से 15 दिनों तक में जिला पशुपालन कार्यालय, नवादा में प्राप्त किया जाएगा। विलंब से प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। 15 दिनों की अवधि समाप्ति के उपरांत अगले कार्य दिवस पर निविदा खोली जाएगी, जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जाएगी।

3. तकनीकी निविदा में सामग्रियों के उत्पादन का लाइसेंस / **G.M.P/I.S.O** एवं **PAN Card** का स्वअभिप्रमाणित प्रति निर्माण सूची के साथ संलग्न होना चाहिए।

4. निविदादाता को नोटरी (बिहार सरकार द्वारा निर्धारित स्टैम्प मूल्य) द्वारा इस आशय का शपथ पत्र मूल प्रति में दायर करना होगा कि वे किसी सरकारी/अर्धसरकारी संस्थान द्वारा बिहार अथवा अन्य राज्यों के काली सूची में दर्ज नहीं है। अगर किसी निविदादाता द्वारा छाया प्रति दी जाती है तो निविदा खोले जाने के समय उन्हें मूल प्रति दिखानी होगी।

5. निविदादाता को 15 (पन्द्रह) हजार रू0 अर्नेस्ट मनी की राशि के रूप में एन0एस0सी0 /डिमांड ड्राफ्ट जमा करना होगा । जो जिला पशुपालन पदाधिकारी, नवादा **(DIST ANIMAL HUSBANDRY OFFICER,NAWADA)** के नाम से प्लेज्ड तथा नवादा में भुगतेय होना चाहिए। वैसे निविदादाता जिन्होंने पी0आर न0 3314 हिन्दुस्तान समाचार पत्र में प्रकाशित निविदा में भाग लिया है। एवं अर्नेस्ट मनी के रूप में 15000/--का ड्राफ्ट अथवा एन0एस0सी0 जमा किया है। उन्हें पुनः देने की आवश्यकता नही है।

6. असफल निविदादाता को अर्नेस्ट मनी की राशि उनके अनुरोध पर लौटा दी जाएगी। जबकि सफल निविदादाता के अर्नेस्ट मनी की राशि उनके द्वारा सामग्री आपूर्ति किये जाने तक रोककर रखी जाएगी। अर्नेस्ट मनी की जमा राशि पर किसी प्रकार का सूद देय नहीं होगा।

7. निविदा के साथ आपूर्ति किए जाने वाले सामानों का सैंपल विस्तृत विवरणी के साथ जमा करना होगा। सैम्पल रहित निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही निविदा खोले जाने के समय सैम्पुल का स्वरूप निविदा के शर्त के अनुरूप नही होने पर भी उस सामग्री निविदा पर विचार नही किया जायेगा।

8. आपूर्ति किए जाने वाले सामानों की विशिष्टता तथा गुणवत्ता के लिए कंपनी द्वारा अपने स्तर से किसी प्रतिष्ठित प्रयोगशाला से से दवा /केमिकल्स का लैब टेस्ट रिपोर्ट दवा आपूर्ति के समय जमा करना होगा। आवश्यकता पड़ने पर उनके द्वारा आपूर्ति किए गए

सामग्रियों की अलग से भी जॉच करायी जायेगी। गुणवत्ता में भिन्नता पाये जाने की स्थिति में संबंधित फर्म को कालीसूची में दर्ज करने की अनुशंसा विभाग को की जाएगी एवं किये गये भुगतान की राशि वापस लेने की कारवाई की जाएगी।

9.**Mineral Mixture** के लिए **Manufactureing Company** द्वारा निर्गत **BIS Certificate** देना अनिवार्य होगा।

10.(क) बिहार राज्य के अंतर्गत निबंधन सेल्स टैक्स(वैट) एवं ड्रग लाइसेंस की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा या (ख) में **GST** संबंधित निबंधन तथा **GST** के अनुरूप अन्य सभी कागजात का स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा। एवं इसी के अनुरूप वांछित कर देय होगा।

11. सभी निविदायें बिहार में स्थित इकाइयों का राज्य के बाहर उत्पादन इकाइयों के स्थानीय कारपोरेट कार्यालय/स्थानीय कार्यालय/एजेंट/प्राधिकृत डीलर द्वारा जो बिहार वाणिज्य कर/ **GST** में निबंधित हो, द्वारा ही दी जाएगी । सामग्री की आपूर्ति उसकी स्थानीय शाखा/एजेंट/प्रधिकृत डीलर के माध्यम से ही की जाएगी।

12. तकनीकी रूप से सफल निविदादाता के ही वित्तीय निविदा को क्रय समिति द्वारा खोलकर विचार किया जायेगा।

13. निविदा खोले जाने के दिवस को निविदा में भाग लेने वाले निर्माता/आपूर्तिकर्त्ता स्वयं या उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति अपेक्षित है। लेकिन किसी कारणवश वे स्वयं या उनके प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो वैसी स्थिति में भी प्राप्त निविदा खोलने का अधिकार क्रय समिति को होगा और उनकी निविदा पर भी विचार किया जाएगा।

14. जिला पशुपालन पदाधिकारी, नवादा के आपूर्ति आदेशानुसार जिला पशुपालन कार्यालय नवादा में सामानों की आपूर्ति करनी होगी। जिसके लिए कोई परिवहन खर्च आदि देय नहीं होगा। समान प्राप्ति के बाद भुगतान जिला पशुपालन पदाधिकारी के कार्यालय द्वारा संगत मद में उपलब्ध आबंटन की राशि से किया जाऐगा।

15. आपूर्ति किए जाने वाले प्रत्येक पैकिंग पर " NOT FOR SALE" FOR BIHAR GOVT. USE ONLY" लिखा होना अनिवार्य होगा।

16. भुगतान के समय ही श्रोत पर देय / **GST** के राशि की कटौती कर ली जाएगी। (/ **GST** से छुट प्राप्त करने के लिए आपूर्तिकर्त्ता को वाणिज्य कर विभाग/सक्षम प्राधिकार से इस निविदा के संदर्भ में आपूर्ति किए जाने वाली सामग्रियों हेतु निर्गत इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा आपूर्ति की गयी सामग्रियों के **GST** की राशि का अग्रिम भुगतान कर दिया गया है तथा उन्हें अब इस मामले में / **GST** का भुगतान नहीं किया जाना है।)

17. निविदा टंकित या कंप्यूटराइज्ड होना चाहिए। हस्तलिखित या ओवरराईटिंग निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। डाली गयी निविदा की औषधियों का दर टैक्स सहित एवं टैक्स रहित देना अनिवार्य है।

18. सामग्रियों का क्रमांक निविदा सूची के अनुरूप निविदा में देना होगा निविदा के सभी पृष्ट स्वअभिप्रमाणित होना चाहिए तथा निविदा के सभी शर्तों मान्य होने का शपथ पत्र देना होगा।

19. जिन आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति आदेश दिया जायेगा वे बिल के साथ रोड परमिट भी संलग्न कर भेजेगें।

20. जिला पशुपालन पदाधिकारी को कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के इस निविदा को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप में रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।

21. दवा का एक्सपायरी डेट आपूर्ति के समय न्यूनतम 18 महीने होना चाहिए।

निविदा सूचना में अंकित दवा के **Generic name** के अतिरिक्त अन्य किसी नाम का दवा के वित्तीय निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

22. किसी भी प्रकार का वैधानिक मामला नवादा जिला के क्षेत्राधीन होगा।

23. एक निविदादाता द्वारा एक से अधिक निविदा दिये जाने पर उनकी निविदा निरस्त कर शेष निविदाओं पर विचार किया जाएगा।

वित्तीय भाग "

1. प्रत्येक आइटम के लिए अलग--अलग उनका कंपनी दर, एम0आर0पी, / **GST** अन्य कर तथा कुल आपूर्ति दर अंकित करना होगा।
2. अंकित दर के अलावा अन्य कोई भी राशि (परिवहन व्यय आदि) देय नहीं होगी। "

10.08.17

जिला पशुपालन पदाधिकारी
नवादा

जिला पशुपालन पदाधिकारी
नवादा

List of medicines & hospitals specialties :-

A Hospital specialties and general items :-

SL. No.	Name of Items	Packing
1	Ampicillin & Cloxacillin Inj	3 grn
2	Astringent powder (Herbal)	1kg
3	Stomachic powder (herbal)/Batisa Pachak (Harbal)	1kg
4	Mineral mixture (B.I.S)	1kg
5	Quinapyramine prosalt Inj	2.5grn
6	Normal Saline	500ml
7	Sulphadimidin Inj 33.3%	100ml

10.8.17

जिला पशुपालन पदाधिकारी
नवादा

10.8.17

जिला पशुपालन पदाधिकारी
नवादा